राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19 06 2020 (अप्रेल से जून 2020) को आयोजित बैठक का कार्यवृत

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र कार्यालय मे दिनांक 19 जून, 2020 को प्रात: 11 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री के वी एस बाबा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई जिसमे राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया ।

<u>राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य</u>

श्री के वी एस बाबा, अध्यक्ष
श्री एस आर नरसिम्हन, सदस्य
श्री देबाशिस डे, सदस्य
श्री एन नल्लारसन, सदस्य
श्री समीर चन्द्र सक्सेना, सदस्य
श्री हरीश राठौर, सदस्य
श्री अशोक राजन, सदस्य
श्री अनिल मेहता, प्रबन्धक (राजभाषा)

प्रबन्धक (राजभाषा) ने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व सभी सदस्यों का राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पधारने पर हार्दिक स्वागत किया । अध्यक्ष महोदय ने गत बैठक की समीक्षा की और गत तिमाही की समीक्षा करने के उपरांत सभी विभागों को राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक कार्य राजभाषा में करने के लिए प्रोत्साहित किया व कार्यालय के विभिन्न विभागों में हिन्दी की प्रगति हेतु कार्मिकों के प्रयासों को जानने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिए : -

1.0 सूचना प्रद्योगिकी युग में हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के साथ साथ ईमेल के माध्यम से कार्य करने पर अध्यक्ष महोदय ने ज़ोर दिया जिससे कागज का कम से कम इस्तेमाल हो ।

2.0 2020-21 के राजभाषा के "क" क्षेत्र के वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए व सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे अपने विभाग के कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे वार्षिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके |

3.0 सभी विभागाध्यक्षों से आग्रह किया गया कि उनके विभाग में अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में किया जाए ।

4.0 प्रत्येक तिमाही में हिन्दी कार्यशालाओं में हर विभाग से 2-3 कार्मिकों को नामित करने पर अध्यक्ष महोदय ने बल दिया ।

5.0 प्रत्येक विभाग राजभाषा हिन्दी की मास्टर फ़ाइल बनाए या अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाए जिसमें राजभाषा हिन्दी से संबन्धित कार्यों की एक मिसिल को सुरक्षित रखे जिससे किसी भी राजभाषा संबंधी निरीक्षण के समय उसे निरीक्षणकर्ता को दिखाया जा सके |

6.0 धारा 3(3) के अंतर्गत मानव संसाधन विभाग से जारी होने वाले परिपत्रों व कार्यालय आदेशों के द्विभाषी होने पर भी अध्यक्ष महोदय ने बल दिया ।

7.0 वित्त विभाग में जमा करने वाले सभी दावों को हिन्दी में ही भरे जाने के बाद स्वीकृत दी जाए |

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

19/6/2020
(अनिल मेहता)
प्रबन्धक (राजभाषा)
दिनांक 19 जून 2020

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है |

कार्यपालक निदेशक(रा भा प्रे के) देबाशिष